

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 /

दिनांक:- / /20.

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नाथु लाल पिता शुभान पिता उल्लादे पह पाण्डोली के राजस्व ग्राम पाण्डोली में जमाबन्दी संख्या 48-81 की खाता संख्या 442, 647 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम नाथु किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम नाथु का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Handwritten signature
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/ 830

दिनांक:- 17/10/2025

निमित्त.

पटवार हल्का पाण्डोली

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री नाथु लाल पिता शुभान लाल राजस्व ग्राम पाण्डोली पह पाण्डोली की खाता संख्या 442, 647 में जाति/नाम नाथु दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम नाथु रिपोर्ट में पहचान पह व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार जिला द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नाथु लाल पिता शुभान लाल जाति/नाम नाथु एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। पह पाण्डोली राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ